

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
झांसी एवं इटावा।

पत्र सं: एस०पी०एम०य०० / एन०सी०डी० / NPCDCS / 03 / 2016-17 / १०६५२

दिनांक: २७-०३-१८

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन एन०पी०सी०डी०सी०एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत सी०सी०य०० हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपदवार मदवार धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) हेतु भारत सरकार द्वारा द्वितीय आर०ओ०पी० वर्ष 2015-16 में एफ०एम०आर० कोड सं- B4.1.1.1 (Additional Building/Major upgrading of existing structure) पर रु० 750.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

2. आपके प्रस्तावों के अनुसार निदेशक, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० के पत्र के क्रम में जनपद झांसी एवं इटावा में रु० 150.00 लाख प्रति जिला सी०सी०य०० एण्ड केयर यूनिट की दर से कुल रु० 300.00 लाख की धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है।

3. कार्यक्रम के संचालन करने हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मद में किया जायेगा, जिन मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4. आपके प्रस्तावों के अनुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि से उपकरणों का क्रय राज्य क्रय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।


8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ०एम०आर०) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ०एम०आर० में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
13. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,


(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

तददिनांक:

पत्र सं: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 03 / 2016-17 /

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0सी0डी0सी0एस0 को इस आशय से प्रेषित कि कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा-निर्देश प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट— www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।


(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
झांसी एवं इटावा।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 03 / 2016-17 /

दिनांक: ०२-०३-१७

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन एन0पी0सी0डी0सी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सी0सी0यू0 हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपदवार मदवार धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS) हेतु भारत सरकार द्वारा द्वितीय आर0ओ0पी0 वर्ष 2015-16 में एफ0एम0आर0 कोड सं0—B4.1.1.1 (Additional Building/Major upgrading of existing structure) पर ₹0 750.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

2. आपके प्रस्तावों के अनुसार निदेशक, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 के पत्र के क्रम में जनपद झांसी एवं इटावा में ₹0 150.00 लाख प्रति जिला सी0सी0यू0 एण्ड केयर यूनिट की दर से कुल ₹0 300.00 लाख की धनराशि सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में अवमुक्त की जा चुकी है।

3. कार्यक्रम के संचालन करने हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मद में किया जायेगा, जिन मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4. आपके प्रस्तावों के अनुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि से उपकरणों का क्रय राज्य क्रय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

5. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

6. स्वीकृत मद का पुर्निमियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

8. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाईयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

9. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

10. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

11. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
13. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0सी0डी0 / NPCDCS / 03 / 2016-17 / १०६५२-२३ तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन0पी0सी0डी0सी0एस0 को इस आशय से प्रेषित कि कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा-निर्देश प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट— www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

Mr. Singh
(डा० ए०बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0